

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,  
लखीसराय।

पटना, दिनांक : 18-10-2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड-20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतनादि ईकाईयों में कुल ₹5,69,958/- (पाँच लाख उनहत्तर हजार नौ सौ अठावन) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-16(7)ब दिनांक-15.05.17, 23(7)ब दिनांक-26.05.17, 31(7)ब दिनांक-07.07.17, 37(7)ब दिनांक-20.07.17, 43(7)ब दिनांक-17.08.17, 55(7)ब दिनांक-04.09.17, 58(7)ब दिनांक-07.09.17, 62(7)ब दिनांक-18.09.17, 65(7)ब दिनांक-21.09.17, 76(7)ब दिनांक-25.09.17, 87(7) ब दिनांक-13.10.17 एवं 91(7)ब दिनांक-17.10.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतनादि ईकाईयों में कुल ₹5,69,958/- (पाँच लाख उनहत्तर हजार नौ सौ अठावन) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

  
18/10/17

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें । भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है । भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,




( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 93 (7) 5

पटना, दिनांक : 18-10-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-3, 7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव

विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) का वेतन भत्ता मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	अभ्युक्ति अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में मुग्तान हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखीसराय	250000	300000	4000	50	15908	569958	डा० अभिमन्यु प्रसाद
	कुल	250000	300000	4000	50	15908	569958	

(पाँच लाख उनहत्तर हजार नौ सौ अंठावन) रु. मात्र

सरकार के विशेष सचिव

*किशोर*

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	2697650000	2369723000	250000	2369973000	327677000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	3698230000	3219104160	300000	3219404160	478825840
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	34660000	30898500	4000	30902500	3757500
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1720000	1142000	0	1142000	578000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	30470000	30468850	50	30468900	1100
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	32270000	30807866	15908	30823774	1446226
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	6500000000	5682144376	569958	5682714334	817285666
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	2000000	1399280	0	1399280	600720
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	2000000	1360600	0	1360600	639400
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	7700000	4940000	0	4940000	2760000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव(0001-13-02)	5500000	3470000	0	3470000	2030000
12	दूरभाष (0001-13-03)	1000000	990750	0	990750	9250
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	40000000	38695000	0	38695000	1305000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	2000000	1535900	0	1535900	464100
15	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	6390000	3188500	0	3188500	3201500
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	5900000	4370500	0	4370500	1529500
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	45000000	0	0	0	45000000
17	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	38500000	22594500	0	22594500	15905500
18	दवा भंडार (0001-21-02)	66000000	569594985	0	569594985	90405015
19	आहार/ पथ्य (0001-21-03)	100000000	55703000	0	55703000	44297000
20	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
21	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	10000000	0	0	0	10000000
22	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	2000000000	1379240000	0	1379240000	620760000
23	मशीनें एवं उपस्कर (0001-52-01)	30000000	16421000	0	16421000	13579000
	कुल योग:-	9455991000	7785648391	569958	7786218349	1669772651

93 (7) B  
18-10-17

सरकार के विशेष सचिव

*किशोर*